राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 13649/2023

सीमा कुमारी डेंडोर पुत्री श्री मानशंकर डेंडोर, उम्र लगभग 25 वर्ष, निवासी मुकाम नवागरा व पोस्ट मेवड़ा, तहसील सिमलवाड़ा, जिला डूंगरपुर, राजस्थान।

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान राज्य, सचिव, शिक्षा विभाग, जयपुर, राजस्थान के माध्यम से।
2. निदेशक, प्राथमिक शिक्षा, बीकानेर, राजस्थान।
3. राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, सचिव, राज्य कृषि प्रबंधन संस्थान परिसर, टोंक रोड, श्रीजी नगर, पृथ्वीराज कॉलोनी, दुर्गापुरा, जयपुर, राजस्थान के माध्यम से।

----प्रतिवादीगण

याचिकाकर्ता(गण) के लिए : श्री महेंद्र विश्नोई

प्रतिवादी(गण) के लिए : श्री प्रियांशु गोपा

माननीय श्री न्यायमूर्ति अरुण मोंगा

<u>आदेश(मौखिक)</u>

<u>04/03/2024</u>

1. याचिकाकर्ता की शिकायत प्रतिवादियों की ओर से निष्क्रियता से उत्पन्न हुई है, जिन्होंने दस्तावेज़ सत्यापन की तिथि पर तलाक की डिक्री न होने के आधार पर उनकी उम्मीदवारी स्वीकार नहीं की।

2. प्रासंगिक तथ्य इस प्रकार हैं: -

2.1 कर्मचारी चयन बोर्ड ने प्राथमिक शिक्षक के पद के लिए दिनांक 16.12.2022 को एक विज्ञापन जारी किया जिसमें कट ऑफ तिथि यानी 19.01.2023 तक आवेदन आमंत्रित किए गए। याचिकाकर्ता ने टीएसपी, एसटी-तलाकशुदा श्रेणी में इसके लिए आवेदन किया।

2.2 याचिकाकर्ता ने अपने सभी आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत किए। उसने अपने और अपने पति के बीच दिनांक 08.11.2017 को निष्पादित आपसी समझौता भी

प्रस्तुत किया। यह कहा गया है कि याचिकाकर्ता और उसके पति ने आपसी सहमति से अपनी शादी को समाप्त करने के लिए सहमति व्यक्त की थी, लेकिन तब तक तलाक लेने के लिए कोई अदालती कार्यवाही शुरू नहीं की गई थी। बाद में उसने 08.02.2023 को विद्वान पारिवारिक न्यायालय के समक्ष तलाक की मांग करते हुए एक याचिका दायर की।

2.3 प्रतिवादियों ने 26.05.2023 को एक नोटिस के माध्यम से ऑफ़लाइन परीक्षा का परिणाम घोषित किया। अनंतिम रूप से चयनित उम्मीदवारों की एक सूची जारी की गई, जिसमें याचिकाकर्ता का नाम भी उल्लेखित था। तदनुसार, उसे 08.07.2023 को दस्तावेज़ सत्यापन के लिए बुलाया गया था।

2.4 इसके बाद याचिकाकर्ता ने 26.07.2023 दिनांकित तलाक की डेक्री प्रस्तुत की। उसने 02.08.2023 दिनांकित एक अभ्यावेदन (अनुलग्नक-7) भी दायर किया, जिसमें प्रतिवादियों से तलाकशुदा श्रेणी में उसकी उम्मीदवारी पर विचार करने का अनुरोध किया गया। लेकिन उस पर विचार नहीं किया गया। प्रतिवादियों की उपर्युक्त निष्क्रियता से व्यथित होकर याचिकाकर्ता ने तत्काल रिट याचिका दायर की।

3. उपर्युक्त पृष्ठभूमि में, मैंने विद्वान वकील की प्रतिद्वंद्वी दलीलें सुनी हैं।

4. प्रतिवादियों के विद्वान अधिवक्ता ने शुरू में तर्क दिया कि डी.बी. विशेष अपील (रिट) संख्या 72/2022 (राजस्थान लोक सेवा आयोग एवं अन्य बनाम संगीता वरहाट एवं अन्य) एवं अन्य संबंधित मामले में दिए गए डी.बी. निर्णय के मद्देनजर याचिकाकर्ता का दावा कि उसे तलाकशुदा की श्रेणी में माना जाए, स्वीकार नहीं किया जा सकता। यह स्वीकार किया जाता है कि कट-ऑफ तिथि तक उसके पास सक्षम न्यायालय द्वारा दी गई तलाक की डिक्री नहीं थी। इस प्रकार, वह तलाकशुदा की श्रेणी में विचार किए जाने की हकदार नहीं है।

5. उपरोक्त प्रस्तुतीकरण तथ्यों के आधार पर विवादित नहीं है। हालांकि, याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि, दस्तावेज़ सत्यापन की तिथि तक, याचिकाकर्ता के पास तलाक का आदेश नहीं था, लेकिन दस्तावेज़ सत्यापन के लगभग 20 दिन बाद ही उसे यह आदेश प्राप्त हुआ। इस पर नरम रुख अपनाया जाना चाहिए।

6. तथ्यों के मात्र वर्णन से यह स्पष्ट है कि कट ऑफ तिथि पर, कानूनी रूप से, याचिकाकर्ता न केवल विवाहित था, बल्कि उसने तलाक की डिक्री प्राप्त करने के लिए कोई न्यायालय प्रक्रिया भी शुरू नहीं की थी। कोई नहीं जानता कि विवाह को भंग करने के लिए सहमत होने वाले पूर्व-दिनांकित स्वार्थी आपसी समझौते पर

आधारित ऐसी डिक्री, तलाकशुदा श्रेणी के तहत विशेषाधिकार प्राप्ति की मांग के कारण प्रेरित थी या नहीं। प्रासंगिक रूप से, तलाक की डिक्री भी एकपक्षीय है।

7. जैसा भी हो, कट ऑफ तिथि पर याचिकाकर्ता तलाकशुदा के रूप में आवेदन करने के लिए योग्य नहीं थी। यदि कट ऑफ तिथि के बाद प्राप्त उसकी पात्रता स्वीकार कर ली जाती है, तो यह याचिकाकर्ता के व्यक्तिगत लाभ के लिए कट ऑफ तिथि को अन्य के मुकाबले स्थानांतरित करने के बराबर होगा।

8. इसमें कोई दो राय नहीं है कि भर्ती एजेंसी ने उन सभी उम्मीदवारों के आवेदनों को खारिज कर दिया होगा जिनके पास कट-ऑफ तिथि तक तलाक की डिक्री नहीं थी, उन्हें तलाकशुदा श्रेणी में नहीं माना। इसलिए, याचिकाकर्ता को उन उम्मीदवारों पर बढ़त हासिल करके अनुचित लाभ नहीं दिया जा सकता है जिनके पास वैध डिक्री नहीं होने के कारण विचार नहीं किया गया।

9. इस आधार पर, यह न्यायालय याचिकाकर्ता को कोई छूट देने में असमर्थ है, क्योंकि ऐसा करना मैच शुरू होने के बाद खेल के नियमों को बदलने के समान होगा।

10. हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं है, इसलिए याचिका तदनुसार खारिज की जाती है।

11. लंबित आवेदन, यदि कोई हों, का निपटारा किया जाता है।

(**अरुण मोंगा**),जे

यह अनुवाद आर्टिफ़िश्यल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" के जरिये अनुवादक की सहायता से किया गया है ।
अस्वीकरण - यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा मे अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी आधिकारिक एवं व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा एवं निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।